मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2010—फाल्गुन 21, शक 1931

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. ई-5-326-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. सिंघई, आय.ए.एस. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री डी. सिंघई की अवकाश की अवधि में श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री डी. सिंघई द्वारा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. एफ-5-23-2009-उन्तीस (2).—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री लखनलाल शुक्ला को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रीवा में सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 20/24 जुलाई 2009, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. जैन, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त, पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार, उक्त सारणी के कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनु-क्रमांक	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सत्र खण्ड
(1)	(2)	(3)
1.	विशेष न्यायालय, अलीराजपुर	अलीराजपुर
2.	विशेष न्यायालय, अनूपपुर	अनूपपुर
3.	विशेष न्यायालय, अशोकनगर	अशोकनगर
4.	विशेष न्यायालय, बालाघाट	बालाघाट
5.	विशेष न्यायालय, बड़वानी	बड़वानी
6.	विशेष न्यायालय, बैतूल	बैतूल
7.	विशेष न्यायालय, भिण्ड	भिण्ड
8.	विशेष न्यायालय, भोपाल	भोपाल
9.	विशेष न्यायालय, बुरहानपुर	बुरहानपुर
10.	विशेष न्यायालय, छतरपुर	छतरपुर
11.	विशेष न्यायालय, छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
12.	विशेष न्यायालय, दमोह	दमोह
13.	विशेष न्यायालय, दतिया	दतिया
14.	विशेष न्यायालय, देवास	देवास
15.	विशेष न्यायालय, धार	धार
16.	विशेष न्यायालय, डिण्डौरी	डिण्डौरी
17.	विशेष न्यायालय, पूर्व निमाड़ खण्डवा	पूर्व निमाड़ खण्डवा
18.	विशेष न्यायालय, गुना	गुना
19.	विशेष न्यायालय, ग्वालियर	ग्वालियर
20.	विशेष न्यायालय, हरदा	हरदा
21.	विशेष न्यायालय, होशंगाबाद	होशंगाबाद
22.	विशेष न्यायालय, इन्दौर	इन्दौर
23.	विशेष न्यायालय, जबलपुर	जबलपुर
24.	विशेष न्यायालय, झाबुआ	झाबुआ
25.	विशेष न्यायालय, कटनी	कटनी
26.	विशेष न्यायालय, मण्डला	मण्डला
27.	विशेष न्यायालय, मन्दसौर	मंदसौर सत्र खण्ड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मन्दसौर तथा अतिरिक्त विशेष न्यायालय, गरोठ को दिए गए क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
28.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, मन्दसौर	तहसील मल्हारगढ़ तथा सीतामऊ के स्थानीय क्षेत्र.
29.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, गरोठ	गरोठ तथा भानपुरा के स्थानीय क्षेत्र.
30.	विशेष न्यायालय, मुरैना	मुरैना

(1)	(2)	(3)
31.	विशेष न्यायालय, नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
32.	विशेष न्यायालय, नीमच	नीमच
33.	विशेष न्यायालय, पन्ना	पन्ना
34.	विशेष न्यायालय, रायसेन	रायसेन
35.	विशेष न्यायालय, राजगढ़	राजगढ़
36.	विशेष न्यायालय, रतलाम	रतलाम सत्र खण्ड, अतिरिक्त विशेष न्यायालय, जावरा को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
37.	अतिरिक्त विशेष न्यायालय, जावरा	पुलिस थाना जावरा, शहर, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, कालूखेड़ा, रिगनौद, बड़वदा, पिपलौदा तथा पुलिस थाना ताल का स्थानीय क्षेत्र.
38.	विशेष न्यायालय, रीवा	रीवा
39.	विशेष न्यायालय, सागर	सागर
40.	विशेष न्यायालय, सतना	सतना
41.	विशेष न्यायालय, सीहोर	सीहोर
42.	विशेष न्यायालय, सिवनी	सिवनी
43.	विशेष न्यायालय, शहडोल	शहडोल
44.	विशेष न्यायालय, शाजापुर	शाजापुर
45.	विशेष न्यायालय, श्योपुर	श्योपुर
46.	विशेष न्यायालय, शिवपुरी	शिवपुरी
47.	विशेष न्यायालय, सीधी	सीधी सत्र खण्ड, विशेष न्यायालय, बैढ़न को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर.
48.	विशेष न्यायालय, बैढ़न	बैढ़न (राजस्व जिला, सिंगरोली मुख्यालय बैढ़न की स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारिता में उद्भूत तथा संबंधित मामले)
49.	विशेष न्यायालय, टीकमगढ़	टीकमगढ़
50.	विशेष न्यायालय, उज्जैन	उज्जैन
51.	विशेष न्यायालय, उमरिया	उमरिया
52.	विशेष न्यायालय, विदिशा	विदिशा
53.	विशेष न्यायालय, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.

टिप्पणी.—सेशन न्यायाधीश किसी विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, इस अधिसूचना के अधीन विशेष न्यायाधीशों के बीच अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई हेतु व्यवस्था कर सकेंगे.

F.No. 1-6-89-XXI-B(I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government with the concurrence of Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby constitutes Special Courts as specified in column (2) of the Table below for the area specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table:—

TABLE

S.No.	Special Court	Local area/ Sessions Divisions
(1)	(2)	(3)
1.	Special Court, Alirajpur	Alirajpur
2.	Special Court, Anuppur	Anuppur
3.	Special Court, Ashoknagar	Ashoknagar
4.	Special Court, Balaghat	Balaghat
5.	Special Court, Barwani	Barwani
6.	Special Court, Belul	Belul
7.	Special Court, Bhind	Bhind
8.	Special Court, Bhopal	Bhopal
9.	Special Court, Burhanpur	Burhanpur
10.	Special Court, Chhatarpur	Chhatarpur
11.	Special Court, Chhindwara	Chhindwara
12.	Special Court, Damoh	Damoh
13.	Special Court, Datia	Datia
14.	Special Court, Dewas	Dewas
15.	Special Court, Dhar	Dhar
16.	Special Court, Dindori	Dindori
17.	Special Court, East Nimar Khandwa.	East Nimar Khandwa.
18.	Special Court, Guna	Guna
19.	Special Court, Gwalior	Gwalior
20.	Special Court, Harda	Harda

(1)	(2)	(3)
21.	Special Court, Hoshangabad	Hoshangabad
22.	Special Court, Indore	Indore
23.	Special Court, Jabalpur	Jabalpur
24.	Special Court, Jhabua	Jhabua
25.	Special Court, Katni	Katani
26.	Special Court, Mandla	Mandla
27.	Special Court, Mandsaur	Mandsaur Sessions Division except jurisdiction given to Additional Special Court, Mandsaur and Additional Special Court Garoth.
28.	Additional Special Court, Mandsaur.	Local area of Tehsil Malhargarh and Sitamau.
29.	Additional Special Court, Garoth.	Local area of Garoth and Bhanpura.
30.	Special Court, Morena	Morena
31.	Special Court, Narsinghpur	Narsinghpur
32.	Special Court, Neemuch	Neemuch
33.	Special Court, Panna	Panna
34.	Special Court, Raisen	Raisen
35.	Special Court, Rajgarh	Rajgarh
36.	Special Court, Ratlam	Ratlam Sessions Divisions except jurisdiction given to Additional Special Court, Jaora.
37.	Additional Special Court, Jaora.	Local area of Police Station Jaora City, Industrial area Jaora, Kalukheda, Ringnod, Badauda, Piploda and Police Station Taal.
38.	Special Court, Rewa	Rewa
39.	Special Court, Sagar	Sagar
40.	Special Court, Satna	Satna
41.	Special Court, Sehore	Sehore
42.	Special Court, Seoni	Seoni
43.	Special Court, Shahdol	Shahdol
44.	Special Court, Shajapur	Shajapur
45.	Special Court, Sheopur	Sheopur
46.	Special Court, Shivpuri	Shivpuri
47.	Special Court, Sidhi	Sidhi Sessions Division except jurisdiction given to Special Court, Waidhan.
48.	Special Court, Waidhan	Waidhan (Cases arising out of and pertaining to local territorial jurisdiction of Revenue District, Singroli headquarters at Waidhan).
49.	Special Court, Tikamgarh	Tikamgarh
50.	Special Court, Ujjain	Ujjain
51.	Special Court, Umaria	Umaria
52.	Special Court, Vidisha	Vidisha
53.	Special Court, W. N. Mandleswar.	W.N. Mandleswar

Note.—The Sessions Judge may make arrangement for hearing of urgent matters amongst the Special Judges under this notification in absence of any such Special Judge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 1(सी)-1-इक्कीस-ब (दो)-10.—राज्य शासन ने अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गठित प्रत्येक विशेष न्यायालय में उक्त अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है.

2. उपरोक्त विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से सामान्य दाण्डिक मामलों का श्रवणाधिकार प्राप्त है. अत: ऐसे अभियोजित किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरणों के लिये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने के लिये, उपरोक्त विशेष लोक अभियोजकों को मात्र उसी न्यायालय के लिये, पदेन अतिरिक्त लोक अभियोजक की शक्तियां धारा 24(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, जो उन्हें उस न्यायालय के लिये, अन्य व्यवस्था होने तक प्राप्त रहेगी.

3. ऐसे विशेष लोक अभियोजकों से सामान्य दाण्डिक मामलों में पैरवी हेतु पृथक् से कोई शुल्क देय नहीं होगा. परन्तु वे अपने शुल्क के नियमित बिलों में समय की गणना करते समय सामान्य दाण्डिक मामलों में लगे समय का लाभ ले सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-163-2006-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, श्री सतीश कुमार यादव, नोटरी निवासी पिपरिया, जिला होशंगाबाद का नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 के सहपठित नियम 13 के अन्तर्गत नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण आदेश क्रमांक 17(ई)-72-2009-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 1 जुलाई 2009 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार निगम, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2009

क्र. 1-13-3251-09.—मण्डल ने मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-9-2-2009-नियम-चार (भाग-1) दिनांक 3 अगस्त 2009 जो दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का समेकन (Consolidation) से संबंधित है, को यथाआवश्यक परिवर्तन (Mutatis Mutandis) सहित निम्नानुसार ग्राह्य करने का निर्णय लिया है:—

1.1 दिनांक 31 अगस्त 2008 की स्थिति में प्राप्त मूल पेंशन (कम्युटेशन के पूर्व) अथवा परिवार पेंशन (मंहगाई पेंशन एवं मंहगाई राहत को छोड़कर) का 2.26 गुणा राशि, पेंशन अथवा परिवार पेंशन की समेकित राशि (Consolidated Amount) होगी तथा इसका भुगतान सितम्बर 2008 (माह सितम्बर 2008 भुगतान माह अक्टूबर, 2008) से देय होगा.

1.2 न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह देय होगी. वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक् रहेगी.

1.3 वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी:—

पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20%
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30%
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक.	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100%

अतिरिक्त पेंशन, संबंधित लेखा इकाई स्वीकृत करेंगे, इसके लिए पृथक् से प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी. अतिरिक्त पेंशन की राशि पेंशनर भुगतान आदेश में पृथक् से दर्शायी जायेगी. सेवानिवृत्ति पेंशन भोगी के पेंशन आदेश में उल्लेखित जन्मतिथि को आधार मानकर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. परिवार पेंशनर के मामले में आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. अतिरिक्त पेंशन का लाभ, पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे उस माह के आगामी माह से प्राप्त होगा. अतिरिक्त राशि की गणना ठीक पूर्ववर्ती माह में प्राप्त मूल पेंशन के आधार पर की जाएगी, परन्तु जिन्होंने दिनांक 1 सितम्बर 2008 के पूर्व पैरा 1.3 अनुसार आयु पूर्ण कर ली है तब उन्हें पेंशन पुनरीक्षण उपरान्त सितम्बर 2008 में देय पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि का लाभ दिया जाए.

2. यदि पेंशनर/परिवार पेंशनर को एक से अधिक पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है तो न्यूनतम राशि रुपये 3025/- दोनों पेंशनों पर पृथक्-पृथक् देय होगी.

3. नियुक्त/पुनर्नियुक्त पेंशनरों के मामले में पेंशन/परिवार पेंशन का केवल समेकन होगा तथा समेकित पेंशन/ परिवार पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी.

4. पेंशन/परिवार पेंशन के समेकन फलस्वरूप प्राप्त होने वाली एरियर्स की राशि में से पूर्व में भुगतान की गई पेंशन/परिवार पेंशन, मण्डल के आदेश क्रमांक 1-13-3824-15, दिनांक 11 अप्रैल 2007 द्वारा स्वीकृत की गई 50 प्रतिशत मंहगाई, पेंशन, आदेश क्रमांक 1-13-3801-27, दिनांक 31 जुलाई 2008 द्वारा स्वीकृत 47 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत और मण्डल के आदेश क्रमांक 1-07-डब्ल्यू.ए.सी.-4987, दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा स्वीकृत 7.5 प्रतिशत अंतरिम राहत की राशियां समायोजित की जावेगी.

5. पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण कार्य संबंधित लेखा इकाई द्वारा किया जावेगा.

6. संबंधित लेखा इकाई परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय इस बात की भली भांति जांच कर ले कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तारीख निकल जाने के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से कर दें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/राहत से समायोजित करें.

7. उपरोक्तानुसार समेकित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि रुपयों एवं पैसों में आने पर पैसे के भाग को आगामी रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा.

8. इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन/परिवार पेंशन, मूल पेंशन होगी. दिनांक 1 सितम्बर 2008 (माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो माह अक्टूबर 2008 में देय) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई 2009 (माह जुलाई 2009 की पेंशन जो माह अगस्त 2009 में देय) से 16 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय होगी. उपरोक्त पैरा 1.3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी. मंहगाई राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित मंहगाई राहत के आदेशों के अनुसार होगी.

9. पेंशन/परिवार पेंशन के समेकन के फलस्वरूप एरियर्स राशि का भुगतान 6 समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.

क्र. 01-13-3251-11.—मण्डल ने मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-2-2009-नियम-चार (भाग-2) दिनांक 3 अगस्त 2009 जो दिनांक 1 जनवरी 2006 को या पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण से संबंधित है, को यथा आवश्यक परिवर्तन (Mutatis Mutandis) सहित निम्नानुसार ग्राह्य करने का निर्णय लिया है:—

(1) **पेंशन.**—पेंशन का निर्धारण अंतिम माह के मूल वेतन (वेतन बेंड में वेतन + ग्रेड पे) के आधार पर होगा. पेंशन 33 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अंतिम माह के मूलवेतन के 50% की दर से देय होगी. न्यूनतम पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह होगी.

(2) **परिवार पेंशन.**—अंतिम मूलवेतन (वेतन बेंड में वेतन + ग्रेड पे) के 30% की दर से देय होगी. न्यूनतम पेंशन रुपये 3025/- प्रतिमाह होगी. वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन की राशि इस सीमा से पृथक् रहेगी.

(3) **अतिरिक्त पेंशन.**—वृद्ध पेंशनरों को निम्नांकित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी:—

पेंशनर/परिवार पेंशनर की उम्र	अतिरिक्त राशि
80 वर्ष से तथा 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 20%
85 वर्ष से तथा 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30%
90 वर्ष से तथा 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 40%
95 वर्ष से तथा 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 50%
100 वर्ष या अधिक	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 100%

अतिरिक्त पेंशन, संबंधित लेखा इकाई द्वारा स्वीकृत की जायेगी. इसके लिए पृथक् से प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होगी. अतिरिक्त पेंशन की राशि पेंशनर भुगतान आदेश में पृथक् से दर्शायी जायेगी. सेवानिवृत्त पेंशन भोगी के पेंशन आदेश में उल्लेखित जन्मतिथि के आधार पर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. परिवार पेंशन भोगी के मामले में आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जायेगी. अतिरिक्त पेंशन का लाभ, पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे उस माह के आगामी माह से देय होगी.

(4) दिनांक 31 अगस्त 2008 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन परिलब्धियों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:—

(क) **मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी)** की अधिकतम राशि रुपये 3.50 लाख को बढ़ाकर 1 सितम्बर 2008 से रुपये 10.00 लाख (दस लाख) किया जाता है. ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करने के लिए अंतिम माह का मूलवेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) तथा इस पर देय मंहगाई भत्ता गणना में लिया जायेगा. 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर $16^{1}/_{2}$ (साढ़े सोलह) माह की उपलब्धियां अथवा राशि रुपये 10.00 लाख जो भी कम हो, देय होगी.

(ख) (1) **पेंशन के कम्युटेशन मूल्य की गणना** म. प्र. सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1996 के नियम 8 के तहत् जिसे मण्डल द्वारा आदेश क्र. 01-13-3395-13, दिनांक 9 मार्च 2001 से ग्राह्य किया है, के अनुसार की जावेगी.

(2) यदि किसी पेंशनर ने अपनी पेंशन का कोई भाग कम्यूट कराया है तो उसे पूर्व में प्राधिकृत कम्यूटेड मूल्य तथा पुनरीक्षित पेंशन के कारण कम्युटेड मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान प्रदान नहीं किया जावेगा.

(ग) **अर्जित अवकाश नगदीकरण** के लिए मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड पे) तथा इस पर देय मंगहाई भत्ते को मासिक उपलब्धियां माना जाएगा. अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता तथा शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी.

(5) दिनांक 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के बीच सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान में काल्पनिक तौर पर निर्धारित की जाकर वास्तविक भुगतान 1 सितम्बर 2008 (माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो 1 अक्टूबर 2008 को देय होगी) से देय होगा.

(6) इन निर्देशों के अन्तर्गत समेकित पेंशन/परिवार पेंशन, मूल पेंशन होगी. दिनांक 1 सितम्बर 2008 की पेंशन (माह सितम्बर 2008 की पेंशन जो 1 अक्टूबर 2008 को देय) से मूल पेंशन पर 12 प्रतिशत की दर से तथा माह जुलाई 2009 (माह जुलाई 2009 की पेंशन जो माह अगस्त 2009 में देय) से 16 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय होगी. उपरोक्त पैरा 3 अनुसार वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी. मंहगाई राहत देने के संबंध में अन्य शर्तें पूर्व में प्रसारित मंहगाई राहत के आदेशों के अनुसार होगी.

(7) दिनांक 1 सितम्बर 2008 से 31 जुलाई 2009 के मध्य सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को, ग्रेच्युटी एवं अर्जित अवकाश नगदीकरण की अंतर राशि का भुगतान 6 (छः) समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.

(8) पेंशन तथा परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाया अंतर राशि का भुगतान भी 6 (छः) समान मासिक किश्तों में किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2009

क्र. 01-13-3251-17.—मण्डल के आदेश क्रमांक 01-13-3251-11, दिनांक 13 अगस्त 2009 के तारतम्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, संबंधित लेखा इकाई द्वारा किया जावेगा.

आदेशानुसार,
संतोष तिवारी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कार्मिक)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्र. 401-मण्डी निर्वाचन-10.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), कृषि उपज मण्डी समिति, बालाघाट के लिये एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधि नाम-निर्दिष्ट करता हूं:—

क्र. (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता (3)	प्रतिनिधि (4)	मण्डी अधिनियम की धारा (5)
1	बालाघाट	श्री अतुल कुमार वैद्य, मु.पो. हट्टा	विधायक परसवाड़ा	11(1) (घ)
2	—''—	श्री धनीराम कावरे पिता श्री बिरजलाल कावरे वार्ड नं. 31 सरेखा (बालाघाट)	तुलैया/हमाल	11(1) (छ)

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. क्यू.-2-ख-स्था.-6-17-दो-2009.—श्री अनिल व्यास, डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर को कार्यालयीन आदेश क्रमांक क्यू-2-ख-स्था-6-17-बत्तीस-07, दिनांक 31 दिसम्बर 2009 द्वारा मध्यप्रदेश, लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 की धारा 3, ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी का कार्य सौंपा गया है.

2. अत: मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-1-40-87-2-ए(3), दिनांक 10 जुलाई 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रकाश में श्री अनिल व्यास, डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर को मध्यप्रदेश लोक परिसर अधिनियम 1974 की धारा 3 के अन्तर्गत ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है.

आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर.

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. भवन-2010-2809.—मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 097-1197-08-सत्रह-मेडि-3, भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2010 के द्वारा राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. 4336, दिनांक 16 मई 2008 के अनुपालन में सामु. स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी का नाम परिवर्तन कर अब स्व. श्री लवकेश सिंह, सामु. स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

अत: खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु. स्वा. केन्द्र, ब्यौहारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश को आदेशित किया जाता है कि भविष्य में पत्राचार करते समय स्व. श्री लवकेश सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्यौहारी लिखा जावें साथ ही सामु. स्वा. केन्द्र के स्थान पर स्व. श्री लवकेश सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्यौहारी के नाम का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें.

डॉ. टी. एन. चतुर्वेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,
प्लाट नं. 76, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 301-001-2004.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 5-4-2004-29-2, दिनांक 28 जनवरी 2004 एवं माननीय चयन समिति की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम-विदिशा अपने वर्तमान प्रभार के साथ-साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम-रायसेन में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम-रायसेन/विदिशा के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगी. यह व्यवस्था जिला उपभोक्ता फोरम-रायसेन में सदस्य की नियुक्ति अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,
महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2010

क्र. 1-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया	बागसी	332/1	0.206	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	बागसी जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1-अ-82-2009-10-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया	बिरहा श्यामखेड़ी	258/2/2	0.060	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल.	बिरहई जलाशय के बांध एवं स्पिल चेनल के निर्माण कार्य हेतु.
			258 5/क/2	0.203		
			258 5/क/3	0.202		
			340	0.809		
			367/166	0.049		
			योग . .	1.323		
भोपाल	बैरसिया	पिपलिया हसनाबाद	104/1	0.729		
			योग :	0.729		
			कुल योग :	2.052		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 1126-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	देवलीकलां	1.722	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.	रावतपुरा तालाब की शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु शेष भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	रावतपुरा	0.563		
		कुल योग :	2.285		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-105-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	ईसागढ़	बरौदिया	31.758	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म.प्र.	पचलाना बांध का निर्माण कार्य

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र.क्र. 04 अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	सगौनी	91.90	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	सगौनी जलाशय योजना डूब, बांध क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
			योग : 91.90		

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—सगौनी जलाशय योजना डूब, बांध क्षेत्र के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 7 अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की

धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	फतेहपुर	41.22	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	फतेहपुर जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
		देवदरा	20.04		
			योग : 61.26		

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—फतेहपुर जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 8 अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	सुनेरा	3.29	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	वराना जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
		दमोतीपुरा	1.46		
			योग : 4.75		

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—वराना जलाशय योजना के प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र.क्र. 9 अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	कनौराकलां	97.34	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	कनौरा जलाशय योजना बांध डूंब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल के प्रयोजन में आने वाली भूमि.
			योग : 97.34		

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—कनौरा जलाशय योजना बांध डूब क्षेत्र एवं स्पिल चैनल प्रयोजन में आने वाली भूमि का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खण्डेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 18 फरवरी 2010

प्र.क्र. 02-अ-82-2007-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—सिरोंज
(ग) ग्राम—अहमदाबाद खिल्ली, भौंरिया, सिद्धीकपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.557 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—अहमदाबाद खिल्ली	
79/1	0.139
79/2	0.026
83	0.039
84/2	0.026
86	0.039
87/4	0.026
81	0.570
88	0.316
89	0.026
93	0.139
94/1	0.165
94/2	0.078
94/3	0.038
98	0.103
99	0.092
100	0.078
120	0.065
121	0.114
122	0.039
123	0.365
124/1	0.185
124/2	0.227
129	0.078
130/1	0.026
130/2	0.052
133/2	0.039
137/3	0.065
143/3	0.050
144/1	0.113
149	0.039
161	0.039
162/1	0.114
163	0.078
384/1	0.139
384/2	0.114
392	0.026
393	0.200
418	0.065
419	0.091
420	0.139
422	0.152
431/1	0.078
431/2	0.078
433/2	0.065
434	0.013
435	0.139
436/4	0.065
436/5	0.115
437/2	0.093
438/2	0.093
ग्राम—भौंरिया	
31	0.036
127	0.126
42/1	0.091
39	0.026
37	0.114
41	0.013
126	0.029
33/1	0.065
33/2	0.105
36/1	0.139
36/2	0.114
35	0.126
32	0.114
ग्राम—सिद्धीकपुर	
7	0.032
8	0.070
11/1	0.026
11/2	0.078
योग . .	6.557

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम अहमदाबाद खिल्ली, तहसील सिरोंज लघु सिंचाई योजना की नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, सिरोंज व कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. 12-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) नगर/ग्राम—कालापीपल, कोल्हूखेड़ी, कढ़ैयाखुर्द, बड़ली जागीर, बागसी, भाऊपुरा, बिजावन खुर्द.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—270.975 हेक्टर.

खसरा नं. (1)	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम-कालापीपल	
3/3	1.051
3/6	0.809
3/7	1.590
3/8	1.800
9	0.202
10	0.809
11	0.980
12/2	0.332
12/3	0.485
12/4	0.081
12/5	0.465
12/9	0.708
28/2/क	0.060
30/1	0.443
30/2/ख	0.040
30/2	0.052
30/3	0.052
30/4	0.053
31	0.409
32/1	0.077
32/2	0.077
32/3	0.077
32/4	0.077
32/5	0.303
34/1	0.041
34/2	0.238
35/1	0.049
35/2	0.049
35/3	0.049
35/4	0.049
35/5	0.048
35/6	0.170
36/1	0.361
36/2	0.052
36/3	0.065
37	0.360
38	0.077
39/1	0.141
39/2	0.190
39/3	0.194
39/4	0.194
39/5	0.020
39/6	0.405
39/9	0.101
42	0.198
43	0.486
44	0.271
45	0.320
53/2	0.140
53/5	0.105
53/6	0.850
53/7	0.547
53/8	0.567
53/12	0.370
54/1	0.809
55	0.894
56/1	0.323
56/4	1.601
56/5	0.260
56/6	0.351
56/7	0.101
56/8	0.283
56/9	0.303
56/10	0.162
56/11	0.607

(1)	(2)
56/12	0.050
56/13	0.607
56/14	0.607
56/15	0.506
56/16	1.315
56/17	0.283
57/1	0.870
57/2	0.858
57/3	1.728
57/4	1.728
58	2.776
59/1	0.409
59/2	0.555
59/3	0.600
59/4	0.728
59/5	0.728
59/6	0.745
59/7	0.745
60/1	0.048
60/2	0.049
60/3	0.065
62	2.023
63/2/1	0.405
63/2/2	0.405
63/2/3/2	2.023
63/2/4	0.405
63/2/5	1.619
योग . .	46.313

ग्राम-कोल्हूखेड़ी

4/2/3	0.101
7/4	0.160
7/7	0.060
7/5	0.024
7/8	0.350
7/11	0.307
7/12	0.110
7/2/6	0.688
7/2/7	0.627
7/2/8	0.600
7/2/9	0.607
7/2/10	0.607
7/2/11	0.688
7/1/2	1.011
7/1/2/1/1	1.530
7/1/3/1	0.992
7/1/3/1/2	1.011
11	0.174
12	0.255
13/2	0.141
14/2	1.600
15	0.050
16/1	0.162
16/2	0.045
23/1	0.182
23/2	0.360
23/3	0.252
23/4	0.136
23/5	0.131
23/6/1	0.136
23/6/2	0.131
23/7	0.135
53	0.324
63/1/1	0.324
63/1/2	0.405
63/2	0.283
63/3	0.264
64/1	0.445
81/1/1	1.415
87/1	0.668
87/2	0.250
95, 96, 97, 16, 3, 164, 166/2 167, 168/1	0.405
95, 96, 97, 16, 3, 164, 166/2, 167, 168/2	0.283
170/1	0.164
170/2	0.174
172/1	0.077
172/2	0.081
173/2	0.020
174	0.413
175/2	0.056
181/1	0.065
182	1.345
183	0.060
187/1	0.250
187/2	0.101

(1)	(2)	(1)	(2)
188/1	0.065	249	0.057
188/2	0.129	250	0.105
189/1/1/1	0.101	251	0.190
189/1/1/2	0.607	252	0.105
191	0.117	254	0.109
192	0.239	257	0.045
194/1	0.085	263	0.668
194/2	0.085	264	1.130
195, 196/2	0.065	265	0.324
197/1	1.287	266	0.210
197/2	0.121	267/1	0.882
200, 202/1	0.607	267/2, 600/266	0.409
201/1	0.066	267/3	0.405
203	0.032	270	0.032
204	0.113	272	0.077
205	0.028	274	0.041
206	0.101	275	0.121
207/1	0.073	277	0.061
207/2	0.069	279	0.032
209	0.097	285	0.089
210	0.218	286	0.105
211	0.133	287	0.012
214/1	0.227	288	0.057
214/2	0.040	290	0.129
215	0.073	293	0.186
216	0.089	294, 295	0.121
217	0.045	335/1	0.162
218	0.109	335/2, 602/335/2, 603/335,	0.527
219	0.057	655/335/2, 655/335/3	
220	0.012	337/1	0.421
221/1	0.024	337/2, 337/4	0.381
221/2	0.028	340/1	3.363
222	0.012	340/2, 342	0.850
224	0.024	343	1.100
223/624/261	0.073	340/3, 341	0.202
225	0.020	345, 346	0.060
227	0.069	347, 348, 384/2	3.480
230	0.186	349, 350, 351, 360	7.482
232	0.251	352	2.282
233, 235	0.251	354	6.637
241	0.020	356	1.607
245	0.154	358	2.201
246	0.105	359	0.295
247	0.202	360	2.485

(1)	(2)	(1)	(2)
363	0.299	409, 411	1.708
364	0.575	410	0.150
365, 366	2.566	412, 413/1क	0.384
374/1/1/3	2.833	299	0.020
374/3	0.182	300	0.060
375/1	0.355	302	0.207
375/2	0.354	307/1	0.538
377/1/1/1	2.023	310, 331/6/1क	0.101
377/1/1/2	2.023	606/416	0.405
377/1/1/3	2.023	416/2	0.202
377/1/1/4	2.023	418	0.550
377/1/2	2.023	419/1/1क	0.405
377/1/3	5.370	419/1/1ख	1.092
377/2, 378/382/2/2/क	0.405	419/1/2	1.940
377/2, 378/382/2/5/ख/1	0.202	419/2	0.809
377/2, 378/382/2/3/ग	3.237	421/1/1/2	0.970
377/2, 378/382/2/2/1घ	0.060	421/1/1/3	0.607
377/2, 378/382/2/2/2घ	0.405	421/1/1/4	4.250
377/2, 378/382/2/2/3घ	0.060	421/1/1/5	1.780
377/2, 378/382/2/4/1ङ	0.180	421/1/1/6	1.740
377/2, 378/382/2/4/2ङ	1.210	421/1/1/7	0.303
379, 381/1	1.011	421/1/1/8	1.255
379, 381/2	2.722	421/1/1/9	1.780
385/1/1/2	0.619	421/1/2	0.486
385/1/2	2.023	421/2	0.081
385/2, 387/1	3.845	421/3	0.405
387/2/2	0.542	423/1	0.445
388	0.308	423/2	0.405
389	0.825	426	0.350
390	0.227	427/2	0.360
391	0.077	449/1	1.255
394	0.040	449/2	3.147
398	0.050	450/1/2	1.113
399/2	2.023	450/1/1/1/1	0.081
399/1	2.100	450/2	0.045
400	0.670	455/1	0.089
401	0.227	367	0.073
402, 403/1, 405/1, 403/2, 405/2	0.425	368	2.501
		372, 374/2, 374/4	1.210
404	0.486	374/1/1/1	4.047
406	0.182	374/1/1/2	2.023

(1)	(2)
466	0.202
467	0.283
458	0.202
470, 471	0.405
472	0.242
473	0.036
474	0.016
477	0.141
482/1/1	0.105
482/1/2	0.162
482/3	2.023
490	0.405
495	0.603
496	0.194
497	0.285
498	0.364
499	1.267
501/1	1.708
501/2	0.202
502	0.101
503/1	0.360
504	0.242
503/2	0.040
505/2	0.405
505/4	0.567
505/5	0.905
505/6	0.770
507/2	0.825
380/1	0.081
380/2	1.659
384/1/1	2.023
384/1/2	5.678
385/1/1/1	0.360
517/1	0.930
519/1/1	0.585
519/1/2	0.603
519/2	1.853
585/459	0.817
589/338/2	2.833
590/355	0.328
591/355, 592/355	0.174
597/187	0.230
604/401	0.145
611/419	2.940
614/448/2	0.065
618/578	0.615
623/202/2	0.085
625/202/2	0.202
629/588/355/1	1.400
629/588/355/2	2.023
636/187	0.121
637/187	0.162
642/289	0.012
645/289	0.008
647/289	0.004
648/289	0.008
653/95	0.202
656/412	3.070
619/578	0.930
412, 413/1ख	0.101
412, 413/2	0.121
412, 413/3/1क	0.020
414	0.060
416/1	0.020
योग . .	196.691

ग्राम-कढ़ैयाखुर्द

75	0.028
76	0.239
78	0.020
81	0.081
82	0.214
83	0.020
84	0.121
85	0.154
86	0.405
87	0.878
88	0.214
93	0.040
96	0.190
97	0.210

(1)	(2)
98	0.040
99	0.198
100	0.093
101	0.247
102	0.332
103	0.445
104	0.162
106	0.089
107	0.016
108/2	2.850
124/108	0.243
126/83	0.045
128/86	0.567
129/108	0.131
130/96	0.053
131/96	0.045
132/96	0.040
133/99	0.089
134/100	0.093
139/96	0.886
140/88	0.405
योग . .	9.883

ग्राम-बड़ली जागीर

5, 6/1	0.165
5, 6/2	0.287
9	1.360
10/1	0.712
10/2	0.445
12/1	0.405
12/2क	0.141
12/2ख	0.081
22/1	0.247
22/2	0.247
89/10/2	0.688
89/10/3	1.050
89/10/4	0.262
89/10/5	0.085
89/10/6	0.101
92/5/1	0.450
93/14/1/1	0.262
93/14/1/2	0.060
योग . .	7.048

ग्राम-बागसी

371/1क	0.081
371/1ख	1.133
371/2	0.405
371/3	1.570
371/4/1	1.972
371/4/2	0.728
372/1/1/2	0.546
372/1/1/3	1.295
372/1/2	0.478
379/1	0.405
379/3	0.283
योग . .	8.896

ग्राम-भाऊपुरा

149/2	0.708
150, 153	0.506
योग . .	1.214

ग्राम-बिजावनखुर्द

201	0.300
203	0.120
204	0.010
205	0.030
206	0.030
207	0.120
208	0.320
योग . .	0.930
महायोग . .	270.975

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कालापीपल जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. 1460-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—भूतेरा, प.ह.नं. 31, ब. नं. 435, रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—16.591 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
611/3	0.692
627/1	01.072
628/1	01.080
611/2	0.608
627/2	01.072
623	01.428
622/5	01.013
625/1	02.509
622/4	0.820
626/1	01.107
626/2	0.707
626/3	0.707
628/2	01.081
629	0.105
636/1	0.095
641/1	0.094
641/2	0.050
636/2	0.060
641/3	0.100
641/4	0.100
642/1	0.028
644	0.206
632, 633	0.049
645	0.093
646	0.129
647	0.162
568/1	0.090
567	0.040
308/1	01.000
342/3	0.169
619	कुंआ पक्का-01
606/2	कुंआ पक्का-01
608/2	कुंआ पक्का-01
643	0.125
615/1	कुंआ कच्चा-01
548	कुंआ पक्का-01
योग . .	16.591 हेक्टर

एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना,संभाग-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना,संभाग-चौरई के उप संभाग चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. -दस-भू-अर्जन-फा-510-प्र.क्र.4-अ-82-2008-09-665.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) नगर/ग्राम—चंदनिया बड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.409 हेक्टर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
135	1.440
140	0.405
143	0.175
138	0.179
142	0.210
योग . .	2.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बंधवा जलाशय के स्पिल चैनल एवं डैमशीट निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर मध्यप्रदेश में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-359.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—कालापीपल
(ग) ग्राम—रामडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.645 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में)
(1)	(2)
10	0.147
227/2	0.157
14	1.129
41/3	0.209
43	0.105
44	0.120
45/1	0.073
263/1	1.212
46	0.040
51/2	0.021
52/2	0.118
53	0.094
55/3	0.063
54	0.010
217	0.240
218/2	0.084
221/1	0.199
222/1	0.105
223/1	0.219
224/7	0.387
248/2/3	0.104
248/2/4	0.105
248/2/5	0.105
248/4	0.282
249/1	0.014
249/2	0.013
249/3	0.013
250/1/1	0.414
250/1/3	0.265

(1)	(2)
252/1	0.063
252/2	0.366
275/1	0.732
276/2	0.690
277/2	0.324
278/1	0.157
278/2	0.157
283	0.533
285/1	0.576
कुल योग . .	9.645

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरदौनकलाँ उगली-शुजालपुर मार्ग हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 1128-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (बाजपुरा एल.बी.सी.एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़ के ग्राम

(ग) लगभगक्षेत्रफल—5.299 हेक्टेयर.

एल.बी.सी नहर :

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—खारपुरस, क्षेत्रफल 1.701 हेक्टेयर	
101/6	0.070
102/2	0.090
102/1	0.030
128	0.100
129	0.018
125/157/2	0.036
130	0.032
121	0.061
93	0.102
111	0.052
81	0.044
80	0.094
65	0.030
69/1/3	0.195
69/1/5	0.195
11/6	0.050
11/8/1	0.050
11/1	0.050
18/2	0.104
18/3	0.104
18/4	0.104
27	0.090
ग्राम—लावाबे, क्षेत्रफल 0.606 हेक्टेयर	
269	0.058
270	0.058
283/3	0.106
293/1/9	0.128
293/1/4	0.128
293/1/3	0.128
ग्राम—पाटरीखुर्द, क्षेत्रफल 0.898 हेक्टेयर	
171	0.058
173	0.034
174	0.097
169	0.180
158/2	0.160
161	0.067
159	0.078

(1)	(2)
160/2/3	0.078
144	0.032
145/3	0.064
143	0.050

ग्राम—खारपुरस, क्षेत्रफल 0.376 हेक्टेयर

94	0.052
93	0.180
57/4	0.050
57/1/8	0.094

ग्राम—भवानीपुरा, क्षेत्रफल 1.642 हेक्टेयर

99	0.090
97/1	0.020
91	0.234
90/1	0.024
90/2	0.024
90/3	0.024
90/133/1	0.024
90/133/2	0.024
90/133/3	0.024
89/132/1	0.041
89/132/2	0.041
86/2	0.260
82/4	0.068
82/5	0.070
49	0.908

ग्राम—बाजपुरा, क्षेत्रफल 0.076 हेक्टेयर

55	0.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बारपुरा एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर कार्य निर्माण हेतु भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, 24 फरवरी 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-340-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के वर्ग (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील—अशोकनगर

(ग) ग्राम—सेपरा, पटवारी हल्का नं. 34

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.207 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
360/2	0.089
361	0.219
362	0.343
366/1ख	0.302
368/3ग	0.254
योग . .	1.207

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सोवत स्टापडेम कमकाजवे पहुंच मार्ग निर्माण हेतु स्थायी अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गीता मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र.क्र 2अ-82-वर्ष 2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—(1) डौली, पटवारी हल्का नंबर 09
(2) तिगरा, पटवारी हल्का नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्टेयर.

खसरा नंबर		रकबा (हेक्टेयर में)
(1)		(2)
ग्राम—डौली की भूमि		
4	में से	0.08
73	में से	0.07
72	में से	0.01
74	में से	0.04
75/3	में से	0.13
75/1	में से	0.16
75/2	में से	0.05
92	में से	0.08
94	में से	0.11
95	में से	0.04
96	में से	0.05
115	में से	0.06
328	में से	0.16
329	में से	0.01
327/1		0.06
327/2	में से	0.07
326	में से	0.06
303	में से	0.03
75/1	में से	0.04
75/3	में से	0.04
88	में से	0.07
86	में से	0.07
85	में से	0.07
105/1	में से	0.07
ग्राम—तिगरा की भूमि		
56/2	में से	0.10
113	में से	0.09
120	में से	0.15
123	में से	0.07
124	में से	0.12
125	में से	0.13
128	में से	0.08
129	में से	0.18
130	में से	0.10
344	में से	0.14
345	में से	0.08
	योग . .	2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—समधन जलाशय योजना की नहर में आने वाली भूमि में निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वे संभाग, हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. ए. खंडेलवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 1 अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा

(ग) नगर/ग्राम—जलकुंआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.05 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
190/1 पैकी	0.02
190/4 पैकी	0.07
190/2 पैकी	0.08
190/3 पैकी	0.11
194 पैकी	0.01
195 पैकी	0.14
197/1 पैकी	0.30
198/1 पैकी	0.04
210 पैकी	0.17
225 पैकी	0.04
226/1 पैकी	0.49
226/2 पैकी	0.43
234 पैकी	0.93
235 पैकी	0.27
249 पैकी	0.01
250/1 पैकी	0.50
250/2 पैकी	0.40
253/2 पैकी	0.32
277/4 पैकी	0.03
278/5	0.30
282/1 पैकी	0.31
282/2 पैकी	0.27
282/3 पैकी	0.12
253/1 पैकी	0.01
278/2 पैकी	0.34
278/3 पैकी	0.34
योग . .	6.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 02-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) नगर/ग्राम—पुरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.44 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
226/2ख पैकी	0.03
738 पैकी	0.20
740/1 पैकी	0.21
740/2	0.06
741/2 पैकी	0.25
741/3 पैकी	0.20
741/4 पैकी	0.11
741/5 पैकी	0.13
746/2 पैकी	0.60
747 पैकी	0.33
748/1 पैकी	0.05
748/2 पैकी	0.09
748/3 पैकी	0.15
752/3 पैकी	0.13
752/4 पैकी	0.52
752/6 पैकी	0.08
761/1 पैकी	0.15
761/2 पैकी	0.19
761//3 पैकी	0.20
761/4 पैकी	0.25
761/5 पैकी	0.03
762 पैकी	0.45
763 पैकी	0.03
योग . .	4.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 03-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) नगर/ग्राम—बिजौरामाफी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.00 हेक्टर.

खसरा नंबर		रकबा (हेक्टर में)
(1)		(2)
129	पैकी	0.07
130/2	पैकी	0.61
131	पैकी	0.36
152	पैकी	0.46
153	पैकी	1.17
155/1	पैकी	0.20
152/2	पैकी	0.06
164	पैकी	0.29
166	पैकी	0.02
171/1	पैकी	0.14
180/1	पैकी	0.13
171/2	पैकी	0.55
172/1	पैकी	0.10
172/2	पैकी	0.20
173/1	पैकी	0.06
172/3	पैकी	0.27
172/4	पैकी	0.28
228	पैकी	1.03
	योग . .	6.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 05-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) नगर/ग्राम—दिनकरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.60 हेक्टर.

खसरा नंबर		रकबा (हेक्टर में)
(1)		(2)
101/2	पैकी	0.35
167/1	पैकी	0.30
169	पैकी	0.02
170	पैकी	0.30
173	पैकी	0.31
182	पैकी	0.11
184	पैकी	0.54
185	पैकी	0.09
239/1	पैकी	0.30
239/2	पैकी	0.25
240	पैकी	0.01
242	पैकी	0.16
243	पैकी	0.65
246	पैकी	0.19
247	पैकी	0.08
250	पैकी	0.34
252	पैकी	0.07
253	पैकी	0.02
313	पैकी	0.06
321/2	पैकी	0.37
321/4	पैकी	0.08
	योग . .	4.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) नगर/ग्राम—देवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.21 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
129 पैकी	0.10
131 पैकी	0.55
156/1 पैकी	0.27
156/2 पैकी	0.09
156/3 पैकी	0.02
156/4 पैकी	0.06
176 पैकी	0.19
179 पैकी	0.02
180 पैकी	0.01
203 पैकी	0.81
260 पैकी	0.40
272 पैकी	0.10
273/1 पैकी	0.39
273/2 पैकी	0.22
273/3 पैकी	0.20
280 पैकी	0.72
282 पैकी	0.06
योग . .	4.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत आवासीय कॉलोनी से पावर हाऊस तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा एवं कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक-दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी.डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—नीबीखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—6.895 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
69	0.141
70	0.024
71/1	0.202
78	0.012
80	0.261
81	0.112
82	0.008
84/1	0.051
85	0.130
87/2	0.016
88	0.041
116	0.008
117	0.008
121	0.008
122	0.243
123	0.095
124	0.048
125	0.252
126	0.051
149	0.414
150/2	0.042
152/2	0.093
152/3	0.050

(1)	(2)
152/4	0.178
153	0.012
158	0.344
159	0.396
702/1	0.372
702/2	0.044
1084/1	0.125
1084/2	0.051
1086	0.224
1088	0.340
1089	0.048
1092	0.081
1093	0.156
1094	0.161
1095	0.461
1096	0.296
1099/1/1	0.031
1099/1/2	0.193
1099/2/1/1	0.112
1099/2/1/2	0.134
1099/2/2	0.202
1101	0.016
1114	0.036
1119	0.048
1144	0.328
1145	0.196
योग . .	6.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—खड़ेही
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.222 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
295/1	0.185
295/2	0.063
296	0.115
297	0.162
298	0.020
299	0.048
307	0.384
311	0.040
312	0.081
313	0.089
314	0.024
444	0.048
445	0.072
446	0.161
448/1	0.158
448/2	0.010
449	0.096
452/1	0.010
452/2	0.232
453	0.036
456	0.008
460	0.061
461	0.181
492	0.192
493	0.032
494	0.248
496	0.144
497/1	0.322
योग . .	3.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खड़ेही वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2010

भू-अर्जन-463-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—पड़रा (शान्ति बिहार कालोनी से लगी हुई)
(घ) क्षेत्रफल—0.650 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित हेतु प्रस्तावित (रकबा हेक्टेयर में)
(1)	(2)
96/1	0.227
96/2	0.085
98/1	0.018
98/2	0.018
99	0.073
100	0.069
103	0.160
योग . .	0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—एम.पी. हाउसिंग बोर्ड के अन्तर्गत निर्मित शान्ति बिहार कालोनी की जल निकासी एवं आवासीय योजना का निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2006-2007..—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—पवई

(ग) ग्राम—रामनगर

(घ) क्षेत्रफल—0.410 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित (रकबा हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
18	0.16	निजी भूमि
19	0.10	निजी भूमि
22/1	0.03	निजी भूमि
30	0.08	निजी भूमि
28	0.04	निजी भूमि
योग . .	0.410	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 2520-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—महाराजखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.444 हेक्टर.

सर्वे नम्बर निजी	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
331/1	0.222
331/2/1	0.184
331/2/2	0.025
331/3	0.155
331/4	0.178
334	0.062
338	0.140
343	0.095
346	0.267
339/1	0.098
347/1	0.018
योग . .	1.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2525-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—आबुखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.118 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
24/1	0.284
24/2	0.497
25/2	0.070
26/1	0.012
26/2	0.215
26/3	0.040
योग . .	1.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2530-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—कलसाड़ा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.763 हेक्टर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
279/1	0.035
279/2ख/1/1/1	0.016
279/2ख/1/1/2	0.229
279/2ख/1/2	0.231
279/2क/2	0.253
279/2क/4	0.479
279/2ग /1	0.201
285/1	0.622
287	0.073
288	0.659
289/2	0.218
323	0.806
329/2	0.770
331	0.587
332/1	1.026
343/7	0.132
343/8	0.008
398/1	0.092
404/1	0.403
406	0.313
407	0.456
408	0.076
409	0.077
410	0.196
411	0.085
412	0.288
413	0.153
415	0.082
416	0.128
417	0.134
418	0.935
योग . .	9.763

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2535-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—एकलदूना (दिग्ठान)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.567 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.125
4/1	0.438
18/1	0.560
20/1	0.235

(1)	(2)
20/2	0.132
24/1	0.043
55/1	0.002
57	0.102
65	0.295
70/1	0.175
70/2	0.175
71	0.215
73/1/1	0.005
73/3/2	0.060
74/1	0.220
74/2	0.430
83/2	0.380
85/2	0.737
152/1	0.650
152/2	0.030
153	0.490
154	0.450
155	0.051
157	0.150
158/1/2	0.150
158/1/4	0.310
159/2/1	0.580
175	0.190
176/1	0.340
180/1	0.320
180/2	0.240
182	0.380
183	0.220
184	0.320
186/1	0.440
186/2/1	0.065
186/2/2	0.250
187	0.382
188	0.230
योग . .	10.567

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 2561-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—लेबड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.155 हेक्टर

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
253/3	0.459
253/4	0.567
254/1	0.129
योग . .	1.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन सड़क निर्माण अन्तर्गत प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा उपमहाप्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, इन्दौर (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2010

क्र. 194-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—नव नियुक्त, नौ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय चरण की कार्यशाला **"Foundation Course Training Programme"**, जो दिनांक 08-03-2010 से 20-03-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण विल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 08-03-2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होगी :-

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन-पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 08-03-2010 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होवें, महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके द्वारा पारित/विरचित किये गये निम्न की एक प्रति प्रशिक्षण प्रारंभ होने से यथासंभव पूर्व संस्थान को आवश्यक रूप से भेजें:—
   (1) सत्र प्रकरण का निर्णय जिसमें साक्षी पक्ष द्रोही न हुआ हो,
   (2) व्यवहार वाद (अ) का निर्णय,
   (3) व्यवहार वाद अपील (अ) का निर्णय,
   (4) आपराधिक अपील/पुनरीक्षण का निर्णय,
   (5) 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित अभियुक्त का बयान,
   (6) वाद विषय (Issues)
   (7) आरोप (Charges)
5. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन या बस स्टेण्ड पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी. अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें.
8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारी के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होगें.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
जयन्त चव्हाण, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 24th February 2010

No. D-844-II-15-50-87-V.— In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-Section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), read with sub-regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal Services Authorities Regulations, 1997 as amended under section 29 A of M.P. State Legal Services authority Act, 1987, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, nominates Hon'ble Shri Justice S.L.Kochar, High Court of Madhya Pradesh, Bench Indore, as Co-Chairman of High Court Legal Services committee at Indore, with immediate effect.

No. D-846-II-15-50-87-V.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-Section (2) of Section 8A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (59 of 1994), read with sub-regulation 2 of the Regulation 3 of Madhya Pradesh Legal

Services Authorities Regulations, 1997 as amended under section 29 A of M.P. State Legal Services authority Act, 1987, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, nominates Hon'ble Shri Justice A. K. Shrivastava High Court of Madhya Pradesh, Bench Gwalior, as Co-Chairman of High Court Legal Services Committee at Gwalior, with immediate effect.

By order and in the name of Hon'ble the Chief Justice,
JAYANT CHAVHAN, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्र. B-1018-दो-2-16-10.—श्री रामकुमार चौबे, ओ.एस.डी., जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2007 से दिनांक 06 नवम्बर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-1020-दो-2-53-2007.—श्री आर.के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 04 से 06 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के.गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1022-दो-2-23-2005.—श्री ए.के. पटैरया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 02 से 05 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए.के. पटैरया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.के. पटैरया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-877-दो-2-23-2009.—डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 30 जनवरी से 01 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-880-दो-2-23-2009.—डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 05 फरवरी से 11 फरवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12,13 एवं दिनांक 14 फरवरी 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-883-दो-3-10-2006.—श्री बी.एस. परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 25 से 27 जनवरी 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी.एस. परमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए.एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.